न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
राजस्व वाद संख्या:–167 / 18
सुशीला बनाम रणसिंह
निर्णय दिनांक :–18.09.2018

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी:– साधू राम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
167 / 18	06.06.2018	18.09.2018

1. सुशीला पुत्री रणसिंह पत्नि आशीष कुमार जाति जाट निवासी राजवाडा तहसील मुण्डावर हाल निवासी तिहाडा तहसील बावल जिला रेवाडी,

..........वादिया

बनाम

1. रणसिंह पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार, मुण्डावर
3. उपपंजियक मुण्डावर जिला अलवर
4. प्रबंधक बडोदा राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रिय बैंक शाखा राजवाडा तहसील मुण्डावर अलवर

..........**प्रतिवादीगण**

दावा –अंतर्गत धारा 88,89,188

वादिया की ओर से **श्री अरूण पंडित एडवोकेट** एवं प्रतिवादी सं0 1 की ओर से **श्री शशीकान्त शर्मा एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **18.09.2018** को **साधू राम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष निर्णय के लिए पेश होने पर बरूवे राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है ओर आंशिक डिक्री दी जाती है कि –

विवादित आराजी खसरा नं. 1326 / 358, रकबा 0.14 हे0 वाके ग्राम राजवाडा का बेचान किये जाने बाबत् प्रतिवादी रणसिंह स्वतन्त्र रहेगा एवं खसरा नं0 392 / 0.25 हे0 के 5 / 12 भाग का व खसरा नं0 385 / 0.13 हे0 सम्पूर्ण का वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर का बेचान प्रतिवादी रणसिंह वादिया पुत्री सुशिला की बिना सहमती बेचान करने से पाबन्द रहेगा तथा उपरोक्त आराजी खसरा नं0 392 के अन्य सहखातेदारान उक्तानुसार किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगे। राजीनामा दिनांक 18.09.2018 निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.09.2018 को लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(साधू राम जाट) 18/9/18
उपखंण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner